

जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार और भारत गणराज्य की
सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

- - -

जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार और भारत गणराज्य
की सरकार ने,

पनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित एवं विकसित
करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

जोर्डन और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
खेलकूद, जन-स्वास्थ्य तथा सूचना और शिक्षा के जन-साधनों के
क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित, कला, संस्कृति और शिक्षा के
क्षेत्रों में हर संभव रीति से सम्बंधों और सद्भावना की संप्रवर्तित व
विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित करार करने का निश्चय किया है :

अनुच्छेद - 1

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जन-स्वास्थ्य, सूचना तथा शिक्षा के
जन-साधनों, खेलकूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहकारिता
को सुकर बनाएंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वे अपनी-अपनी
संस्कृति और इन क्षेत्रों में कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी के
लिए योगदान कर सकें ।

अनुच्छेद - 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित
करेंगे और सुकर बनाएंगे :

- (क) लेखर देने, अध्ययन दौरों तथा विशेष
पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोफेसरों
और विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहां भोजना ;
- (ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी,
कलात्मक, खेलकूद और पत्रकारिता संघों और

संगठनों के प्रतिनिधियों की एक दूसरे के यहाँ भेजना और सभाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में भाग लेना ;

- (ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान, पुस्तकें, पत्रिकाएँ और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और खेल-प्रकारणों का अनुवाद तथा आदान-प्रदान तथा जहाँ भी संभव हो, कला नमूनों का आदान-प्रदान ; और
- (घ) एक देश के पुरातत्वज्ञों द्वारा दूसरे देश का भ्रमण करने तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए पारस्परिक सुविधाएँ प्रदान करना जिससे कि वे सुदार्ढ्य कार्य तथा साथ ही पुरातत्व-क्षेत्रों के परिरक्षण और प्रदर्शन और नमूनों अथवा प्रतिमाओं के विनिमय के संबंध में भी अनुभव प्राप्त कर सकें ।

अनुच्छेद - 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को, जो उसकी उच्च शिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहें, सुविधाएँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार उन परिस्थितियों की जाँच करने का आश्वासन देता है, जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किये गये डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विश्वविद्यालय की डिग्रियों की उसकी अपनी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान की जा सकती है ।

अनुच्छेद - 5

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस जैसे जन-साधनों के माध्यम से अन्य पक्षकार के जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री तथा कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - 6

सँविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित बातों को सुकर बनाएँगे तथा संप्रवर्तित करेंगे :

- (क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मण्डलियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- (ग) फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम रिकार्डिंग और डिस्क तथा टेप रिकार्डिंग का आदान-प्रदान ; और
- (घ) चलचित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 7

सँविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेलकूद की टीमों के अभ्यासों को प्रोत्साहित करेंगे और लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उनके ठहरने और गतिविधियों को सुकर बनाएँगे ।

अनुच्छेद - 8

सँविदाकारी पक्षकार, यथासंभव, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, विशेषकर इतिहास और भूगोल से

संबंधित पाठ्यपुस्तकों में, एक दूसरे के देश से संबंधित तथ्यों में कोई त्रुटि अथवा मिथ्यावर्णन न हो ।

अनुच्छेद - 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, अपने-अपने क्षेत्र में अन्य संविदाकारी पक्षकार अथवा दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना का, उस संबंध में अपने-अपने कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार स्वागत करेगा । यह मान लिया जाता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई संस्था स्थापित करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद - 10

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संविदाकारी पक्षकारों द्वारा, जब कभी भी आवश्यक समझा जाये, एक संयुक्त समिति की स्थापना की जा सकती है, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसकी बैठक, किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर और जैसा कि संविदाकारी पक्षकारों के बीच सहमति हो, बारी-बारी से अम्मान और नई दिल्ली में होगी ।

संयुक्त समिति, वर्तमान करार के कार्यक्रम का आवधिक पुनर्विलोकन करने, वर्तमान करार में परिकल्पित क्षेत्रों में किसी भी ऐसी मद की, जिसमें कोई भी पक्षकार हितबद्ध हो, तैयार करने और संबंधित सरकार को सिफारिश करने तथा सलाह देने और साथ ही करार के कार्यक्रम को सुधारने की रीति के बारे में सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगी ।

अनुच्छेद - 11


वर्तमान करार अनुसमर्थन-लिखितों के विनियम की तारीख से लागू होगा । यह पांच वर्ष तक लागू रहेगा और

उसके बाद हर बार, पांच वर्षों की और अवधि के लिए यह स्वतः ही नवीकृत ही जायेगा जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार, अन्य पक्षकार की वर्तमान करार की अवसित करने के लिए अपने आशय की लिखित रूप में छः महीने की पूर्व सूचना न दे ।

अम्मान में 1976 (ईसवी सन्) के फ़रवरी मास के पन्द्रहवें दिन तदनुसार, 1897 (शक) के माघ मास के द्वादशवें दिन छः मूल प्रतियों में, अरबी, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में किया गया । सभी पाठ समानतः प्रमाणित होंगे किन्तु सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।


जुफान अल-हिन्दावी
जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार

की ओर से

D. S. Hindawi


शीलेन्द्र कुमार सिंह
भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से





CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

....

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Republic of India, INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between Jordan and India in the realms of art, culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health and mass media of information and education, HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture education, science and technology, public health, mass media of information and education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and



-2-

- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimens; and
- d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavations as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the



-3-

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the mass media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- a) exchange of artistes, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent



educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established by the Contracting Parties as and when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of them, alternately in Amman and New Delhi.

The Joint Committee shall be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in the



-5-

present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years, each time, until either Contracting Party gives to the other a six months' prior written notice of its intention to terminate the present Agreement.

DONE at Amman this *Fifteenth* day of February, Nineteen Hundred and Seventy Six, in six originals, two each in Arabic, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt the English text shall prevail.

D. S. Hindawi
(ZUQAN AL-HINDAWI)

FOR THE GOVERNMENT OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

S. K. Singh
(S.K. SINGH)

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



BASAPPA DANAPPA JATTI
ACTING PRESIDENT OF INDIA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, GREETING:

WHEREAS the Cultural Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan was signed at Amman on the fifteenth day of February in the year one thousand nine hundred and seventy six by the respective Representatives of the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan duly authorised for that purpose, which Agreement is reproduced word for word in the Annexure to this document;

AND WHEREAS it is fit and expedient to confirm and ratify the aforesaid Agreement;

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN that the Government of India, having seen and considered the said Agreement do hereby confirm and ratify the same.

IN TESTIMONY WHEREOF I, BASAPPA DANAPPA JATTI,
ACTING PRESIDENT OF INDIA, have signed these Presents
and affixed hereunto my Seal at New Delhi this the
twentieth day of Asadha of the Saka year one thousand
eight hundred and ninety nine corresponding to the
eleventh day of July of the year one thousand nine hundred
and seventy seven A.D., in the Twenty-eighth year of
the Republic of India.

B. D. Jatti

ACTING PRESIDENT OF INDIA



CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

...

The Government of the Republic of India, and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Jordan in the realms of art, culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health and mass media of information and education,

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture education, science and technology, public health, mass media of information and education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;

- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimens; and
- d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavations as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the mass media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- a) exchange of artistes, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their

educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established by the Contracting Parties as and when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of them, alternately in New Delhi and Amman.

The Joint Committee shall be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in the

present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years, each time, until either Contracting Party gives to the other a six months' prior written notice of its intention to terminate the present Agreement.

DONE at Amman this Fifteenth day of February, Nineteen Hundred and Seventy Six, in six originals, two each in Hindi, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt the English text shall prevail.

Sd/-
(S.K.SINGH)
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd/-
(ZUQAN AL-HINDAWI)
FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN



जिनके समक्ष यह प्रलेख पहुंचे, उन सबको भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति
वसप्पा दानप्पा जत्ती
का
अभिवादन

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार पर वर्ष एक हजार नौ सौ छिहत्तर के फरवरी मास के पन्द्रहवें दिन अम्मान में भारत गणराज्य की सरकार तथा जोर्डन के हाशमी राज्य की सरकार के अपने-अपने प्रतिनिधियों ने, जिन्हें इस कार्य के लिए यथोचित रूप से प्राधिकृत किया गया था, हस्ताक्षर किए थे, जिस करार को इस प्रलेख के संलग्नक में शब्दशः उद्धृत किया गया है ;

और जबकि उक्त करार की पुष्टि एवं अनुसमर्थन पर सहमति देना ठीक और उचित है ;

इसलिए, अब ज्ञात हो, कि भारत सरकार उक्त करार को देखने और इस पर विचार करने के बाद इसकी पुष्टि और अनुसमर्थन करती है ।

जिसके साक्ष्य में, मैं, बसप्पा दानप्पा जल्ली, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, आज, नई दिल्ली में भारत गणराज्य के अठ्ठाईसवें वर्ष में शक संवत् एक हजार आठ सौ निन्द्यानवे के आषाढ़ मास के बीसवें दिन, तदनुसार इसवी सन् एक हजार नौ सौ सतहत्तर के जुलाई मास के ग्यारहवें दिन प्रस्तुत प्रलेख पर अपने हस्ताक्षर करता हूँ और अपनी मोहर लगाता हूँ ।

ब-दा-जल्ली

भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति



भारत गणराज्य की सरकार और जोर्डन के हशामी राज्य की
सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और जोर्डन के हशामी राज्य
की सरकार ने,

घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित एवं विकसित
करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

भारत और जोर्डन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
खेलकूद, जन-स्वास्थ्य तथा सूचना और शिक्षा के जन-साधनों के
क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित, कला, संस्कृति और शिक्षा के
क्षेत्रों में हर संभव रीति से सम्बन्धों और सद्भावना को संप्रवर्तित व
विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित करार करने का निश्चय किया है :

अनुच्छेद - 1
=====

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जन-स्वास्थ्य, सूचना तथा शिक्षा के
जन-साधनों, खेल-कूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहकारिता
को सुकर बनाएंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वे अपनी-अपनी
संस्कृति और इन क्षेत्रों में कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी के
लिए योगदान कर सकें ।

अनुच्छेद - 2
=====

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और
सुकर बनाएंगे :

- (क) लेक्चर देने, अध्ययन दौरों तथा विशेष
पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोफेसरों
और विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहाँ भेजना;
- (ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी,
कलात्मक, खेलकूद और पत्रकारिता संघों और

संगठनों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के यहाँ भेजना और सभाओं, सम्मेलनों, संगीष्ठियों तथा सेमिनारों में भाग लेना ;

(ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और खेल-प्रकाशनों का अनुवाद तथा आदान-प्रदान तथा जहाँ भी संभव हो, कला नमूनों का आदान-प्रदान ; और

(घ) एक देश के पुरातत्वज्ञों द्वारा दूसरे देश का भ्रमण करने तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए पारस्परिक सुविचार प्रदान करना जिससे कि वे छुदाई कार्य तथा साथ ही पुरातत्व-खोजों के परिरक्षण और प्रदर्शन और नमूनों अथवा प्रतिमाओं के विनिमय के संबंध में भी अनुभव प्राप्त कर सकें ।

अनुच्छेद - 3

=====

प्रत्येक सविदाकारी पक्षकार दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को, जो उसकी उच्च शिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहें, सुविचार और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

=====

प्रत्येक सविदाकारी पक्षकार उन परिस्थितियों की जाँच करने का आश्वासन देता है, जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किये गये डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विश्वविद्यालय की डिग्रियों को उसकी अपनी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान की जा सकती है ।

= 3 =

अनुच्छेद - 5
=====

प्रत्येक सविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस जैसे जन-साधनों के माध्यम से अन्य पक्षकार के जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री तथा कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - 6
=====

सविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित बातों को सुकर बनाएंगे तथा संप्रवर्तित करेंगे :

- (क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मण्डलियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- (ग) फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम रिकार्डिंग और डिस्क तथा टेप रिकार्डिंग का आदान-प्रदान ; और
- (घ) चलचित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 7
=====

सविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेलकूद की टीमों के अभ्यासनों को प्रोत्साहित करेंगे और लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उनके ठहरने और गतिविधियों को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - 8
=====

सविदाकारी पक्षकार, यथासंभव, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, विशेषकर इतिहास और भूगोल से

संबंधित पाठ्यपुस्तकों में, एक दूसरे के देश से संबंधित तथ्यों में कोई त्रुटि अथवा मिथ्यावर्णन न हो ।

अनुच्छेद - 9

=====

प्रत्येक सीविदाकारी पक्षकार, अपने-अपने क्षेत्र में अन्य सीविदाकारी पक्षकार अथवा दोनों सीविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना का, उस संबंध में अपने-अपने कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार स्वागत करेगा । यह मान लिया जाता है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई संस्था स्थापित करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद - 10

=====

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सीविदाकारी पक्षकारों द्वारा, जब कभी भी आवश्यक समझा जाये, एक संयुक्त समिति की स्थापना की जा सकती है, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसकी बैठक, किसी भी सीविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर और जैसा कि सीविदाकारी पक्षकारों के बीच सहमति हो, बारी-बारी से नई दिल्ली और अम्मान में होगी ।

संयुक्त समिति, वर्तमान करार के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करने, वर्तमान करार में परिकल्पित क्षेत्रों में किसी भी ऐसी मद को, जिसमें कोई भी पक्षकार हितबद्ध हो, तैयार करने और संबंधित सरकार को सिफारिश करने तथा सलाह देने और साथ ही करार के कार्यकरण को सुधारने की रीति के बारे में सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगी ।

अनुच्छेद - 11

=====

वर्तमान करार अनुसमर्थन-लिखितों के विनियम की तारीख से लागू होगा । यह पांच वर्ष तक लागू रहेगा और

उसके बाद हर बार, पाँच वर्षों की और अवधि के लिए यह स्वतः ही नवीकृत हो जायेगा जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार, अन्य पक्षकार को वर्तमान करार को अवसित करने के लिए अपने आशय की लिखित रूप में छः महीने की पूर्व सूचना न दे ।

अम्मान में 1897 (शक) के माघ मास के छब्बीसवे दिन तदनुसार, 1976 (ईसवी सन्) के फरवरी मास के पन्द्रहवे दिन छः मूल प्रतियों में, हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में किया गया । सभी पाठ समानतः प्रमाणित होंगे किन्तु सन्देश की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

ड० शीलेन्द्र कुमार सिंह
भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

ड० जुकान अल् हिन्दावी
जोर्डन के हशामी राज्य की
सरकार की ओर से